निर्णय न्यायालय श्री मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
13/2016	02.7.2016	06/09/19

1. मोहम्मद अख्तरउल्लाह पुत्र मोहम्मद ईस्माइल जाति मुसलमान
2. मोहम्मद आरिफउल्लाह पुत्र मोहम्मद ईस्माइल निवासी मलारनाडूंगर
3. मोहम्मद जाहिद पुत्र मोहम्मद गुलाब तहसील मलारनाडूंगर

——प्रार्थीगण

बनाम

1. नईम उल्लाह पुत्र मोहम्मद ईस्माइल खां, मुसलमान नि0 मलारना डूंगर हाल नि0 कागजी मोहल्ला, लड्डूनाथ ढाबा के सामने शहर स0मा0 (फौत)

1/1.बरकत उल्लाह पुत्र नईम उल्लाह, मुसलमान नि0 मलारना डूंगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला, लड्डूनाथ ढाबा के सामने शहर सवाई माधोपुर

1/2.मोहम्मद जोहेब पुत्र नईम उल्लाह, मुसलमान नि0 मलारना डूंगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला, लड्डूनाथ ढाबा के सामने शहर सवाई माधोपुर

1/3.शोएब पुत्र नईम उल्लाह, मुसलमान नि0 मलारना डूंगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला, लड्डूनाथ ढाबा के सामने शहर सवाई माधोपुर

1/4.रोशन आरा पुत्री नईम उल्लाह, मुसलमान नि0 मलारना डूंगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला, लड्डूनाथ ढाबा के सामने शहर सवाई माधोपुर

1/5.जहां आरा पुत्री नईम उल्लाह, मुसलमान नि0 मलारना डूंगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला, लड्डूनाथ ढाबा के सामने शहर सवाई माधोपुर

1/6.अल्कुम आरा पुत्री नईम उल्लाह, मुसलमान नि0 मलारना डूंगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला, लड्डूनाथ ढाबा के सामने शहर सवाई माधोपुर

1/7.इस्लाम इलाही पत्नी नईम उल्लाह, मुसलमान नि0 मलारना डूंगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला, लड्डूनाथ ढाबा के सामने शहर सवाई माधोपुर

2. मुकीमउल्लाह पुत्र नफीसउल्लाह, मुसलमान निवासी मलारनाडूंगर हाल निवासी नाई की थडी,साइरा मस्जिद के पीछे,रामगढ रोड, जयपुर

3. मुजीबउल्लाहपुत्र नफीसउल्लाह, मुसलमान निवासी मलारनाडूंगर हाल निवासी नाई की थडी,साइरा मस्जिद के पीछे,रामगढ रोड, जयपुर

4. अकीमउल्लाह पुत्र नफीसउल्लाह, मुसलमान निवासी मलारनाडूंगर हाल निवासी नाई की थडी,साइरा मस्जिद के पीछे,रामगढ रोड, जयपुर

5. साजिदा बेगम बेवा नफीसउल्लाह, मुसलमान निवासी मलारनाडूंगर हाल निवासी नाई की थडी,साइरा मस्जिद के पीछे,रामगढ रोड, जयपुर

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

कार्यालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर (राज.)

Scanned by CamScanner

6. बरकलउल्लाह पुत्र नफीसउल्लाह, मुसलमान निवासी मलारनाडूंगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला, लड्डू नाथ बाबा के सामने, शहर सवाईमाधोपुर
7. मोहम्मद जोहेब पुत्र नफीसउल्लाह, मुसलमान निवासी मलारनाडूंगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला, लड्डू नाथ बाबा के सामने, शहर सवाईमाधोपुर
8. शोएब खान पुत्र नफीसउल्लाह, मुसलमान निवासी मलारनाडूंगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला, लड्डू नाथ बाबा के सामने, शहर सवाईमाधोपुर
9. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील मलारनाडूंगर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री शंभुलाल मीना , एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री रवि प्रकाश अग्रवाल, एड0, अप्रार्थी नं0 1,6,7,8 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ग्राम मलारनाडूंगर के निवासी हैं तथा आपस में एक ही परिवार , कुटुम्ब के खास भाई–भाई हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 की शामलाती खातेदारी भूमि ख0नं0 207 रकबा 8 बीघा भूमि ग्राम मलारनाडूंगर में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 व अप्रार्थी नं0 1 का 1/2 हिस्सा है। यह भूमि सं0 2013–16 तक मिश्रीलाल पुत्र शंकर लाल कलाल निवासी मलारनाडूंगर की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता ने बैंक नीलामी में अपने पुत्र नईमउल्लाह के नाम से खरीदी थी तथा सं0 2017 से 2020 में नईमउल्लाह की खातेदारी में आ गई थी। नईमउल्लाह मोहम्मद ईस्माइल का बडा लडका था जिसकी उम्र उस समय 13 वर्ष थी। अप्रार्थी नं0 1 के मन में बदयान्ति आ जाने के कारण वह सम्पूर्ण भूमि को प्रार्थीगण से छीनने लगा तो सन् 1998 में प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 के मध्य विवाद हो गया तब अप्रार्थी सं0 1 नईमउल्लाह ने प्रार्थीगण के हक में शपथपत्र मय हस्ताक्षर सादा कागज पर दिनांक 13.4.98 को तहरीर किया क मेरे पिताजी ने सर नाप का खेत 8 बीघा उन्हीं की जिन्दगी में मेरे नाम कर दिया था जो आज तक चला आ रहा है। आज हमारे सभी भाईयों के जो भूमि के हिस्से हुए हैं मुझे सर वाला खेत हिस्से में दे दिया है व इसमें से आधा खेत मेरी माताजी को दूंगा बाकी पिताजी की शेष भूमि में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। मैंने उक्त हिस्सा राजीखुशी से सभी भाईयों व माताजी की उपस्थिति में किया है। इस लिखावट से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 1 नईमउल्लाह ख0नं0 207 रकबा 8 बीघा में से अपने हिस्सा

(मनोज कुमार शर्मा)
उप जिला कलक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

1/2 यानि 4 बीघा भूमि पर काबिज था, शेष भूमि पर प्रार्थीगण काबिज हैं। अप्रार्थी सं0 1 के मन में बेईमानी आ जाने के कारण उसने भूमि ख0नं0 207 रकबा 8 बीघा को अपने पुत्र अप्रार्थी सं0 7, 8, 9 के नाम जरिए रजि0 दानपत्र दिनांक 22.5.2014 को कर दिया जो अप्रार्थी नं0 1 की बेईमानी दर्शाता है। यह दानपत्र स्वतः ही नल एण्ड वोईड है जो किसी भी प्रकार की हैसियत नहीं रखता है। प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी आराजी ख0नं0 126 रकबा 7 बीघा 15 विस्वा भूमि में से हिस्सा 1/2 तथा ख0नं0 131 रकबा 20 बीघा 1 विस्वा में से हिस्सा 1/2 प्रार्थीगण के हिस्से में आई है। अप्रार्थी सं0 1 नइम ने ख0नं0 207 की भूमि हिस्सा 1/2 प्राप्त कर रखी है तथा नफीसउल्लाह को ख0नं0 127 व 356 रकबा 4 बीघा 13 विस्वा भूमि बंटवारे में दी गई गई थी जो सम्मलित परिवार के रूप मं माताजी श्रीमती इलियास बेगम द्वारा घर के पैसों से खरीदी थी। इस भूमि की रजिस्ट्री स्वयं नफीसउल्लाह ने अपने नाम करवा ली है क्योंकि शेष भाई छोटे थे तथा माताजी पर्दाप्रथा के कारण घर से बाहर नहीं निकलती थी। बडे भाई नफीसउल्लाह अपने परिवार को लेकर उस समय सवाईमाधोपुर चले गए था तथा क्रय विक्रय का कार्य माताजी नफीसउल्लाह के जरिए करवाती थी। नफीसउल्लाह ने शपथपत्र(तहरीर) में उक्त इकरारनामा स्वीकार किया है जिस पर स्वयं के व मौतविरान के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण प्रतिवादी सं0 1 नईमउल्लाह व नफीसउल्लाह का नाम हजफ करवाने के अधिकारी हैं। नफीसउल्लाह फौत हो चुका है उसके वारिसों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण की कब्जाशुदा व अपने हिस्से की भूमि ख0नं0 207 में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 1 से दिनांक 25.6.2014 को प्रार्थीगण के नाम उक्त भूमि का हिस्सा 1/2 खातेदारी लगवाने को कहा तो अप्रार्थी सं0 1 आग बबूला हो गया। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 को काफी समझाया लेकिन वह नहीं समझा इसलिए प्रार्थीगण को वादकारण उत्पन्न हुआ है। अप्रार्थी नं0 1 ने प्रार्थीगण के कब्जेशुदा व अपने हिस्से की भूमि ख0नं0 207 को प्रार्थीगण के नाम नहीं करवा तथा अन्य किसी को रहन वय कर दिया जो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 8 को ताफैसला वाद इस कदर पाबंद फरमाया जावे कि वे ग्राम मलारनाडूंगर में दर्ज खाता संख्या 248, 249, 250 के हिस्सा 1/2 की मौके की व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति में परिवर्तन करने से व उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन, वय

(मनोज कुमार ...)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

Scanned by CamScanner

करने से एवं प्रार्थीगण को उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करने से बाज व मुमतना रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 9 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए । अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1,6,7,8 ने अपने जबाब व काउन्टर क्लेम में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 207 विपक्षी सं0 1 के स्वामित्व व आधिपत्य की थी जिससे अन्य किसी का कोई सम्बन्ध नहीं था। ख0नं0 126 रकबा 7 बीघा 15 विस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 1 तथा नफीसउल्लाह के वारिसान हिस्सेदार हैं अर्थात ख0नं0 126 के आधे हिस्से में हमारे 5 हिस्से हैं। इसी प्रकार ख0नं0 131 रकबा 20 बीघा 1 विस्वा के 1/2 हिस्से में प्रार्थीगण तथा विपक्षी सं0 1 एवं नफीसउल्लाह के वारिसान हिस्सेदार हैं अर्थात ख0नं0 131 के आधे हिस्से में हमारे 5 हिस्से हैं जिस पर पांचो हिस्सों पर बराबर बराबर काबिज हैं। ग्राम मलारनाडूंगर में हमारे पिता मोहम्मद इस्माइल का पुराना मकान था। हमारे पिता का स्वर्गवास 28 जून 1968 को हो गया था। मुझ विपक्षी सं0 1 की नौकरी अध्यापक के रूप में सन् 1966 में ही लग चुकी थी। मुझ विपक्षी सं0 1 के वेतन से उक्त मकान में निर्माण कार्य किया गया। 28 जून 1968 तक केवल दो कमरों का ही निर्माण केवल मात्र गरदाने तक ही हो चुका था। छत नहीं डली थी। 28 जून 1968 के बाद उक्त मकान का निर्माण मुझ विपक्षी सं0 1 ने अपने वेतन से घर का खर्च उठाने के बाद बचने वाली राशि से कराया जो सन् 1975 में पूरा हुआ। 1975 तक प्रार्थीगण एवं नफीसउल्लाह पढाई ही करते थे जिनका पढाई का खर्चा भी मुझ विपक्षी सं0 1 द्वारा ही उठाया गया। प्रार्थीगण एवं नफीसउल्लाह तथा बहन जीनत की शादी के खर्चे भी मुझ विपक्षी सं0 1 द्वारा ही किए गए थे। बहन जीनत का स्वर्गवास हो चुका है। मकान के कुछ हिस्से को जो नफीसउल्लाह के हिस्से में आया उसे नफीसउल्लाह द्वारा बेच दिया गया। शेष बचा हुआ हिस्सा जिसमें 8 कमरे एवं बरामदे आदि हैं प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 की सम्मलित स्वामित्व व कब्जे की है जबकि मकान का निर्माण विपक्षी सं0 1 द्वारा ही कराया गया था। प्रार्थीगण द्वारा उक्त मकान में विपक्षी सं0 1 को कोई हिस्सा नहीं देकर स्वयं प्रार्थीगण ही लेना चाहते थे जिसके लिए विपक्षी

(मनोज कुमार)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

Scanned by CamScanner

सं0 1 तैयार नहीं था। दबाब बनाने के लिए ही प्रार्थीगण ने यह दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ख0नं0 126 एवं 131 में विपक्षी सं0 1 को कोई हिस्सा देना नहीं चाहते हैं। वादी अखतरउल्लाह जयपुर रहता है, वादी आरिफ उल्लाह सवाईमाधोपुर शहर रहता है जो वर्तमान में मलारनाडूंगर सीनियर हायर सैकेण्ड्री स्कूल में प्रधानाचार्य है। जाहिद गुलाब मलारनाडूंगर में गर्ल्स स्कूल में च0श्रे0क0 है। यह सभी लोक विपक्षी सं0 1 पर अनुचित दबाब बनाकर उक्त मकान व ख0नं0 126 व 131 के विपक्षी सं0 1 के हिस्से को हडपना चाहते हैं। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि विपक्षी सं0 1 के मन में बदयान्ति आ जाने के कारण उसने भूमि ख0नं0 207 अपने पुत्र विपक्षी सं0 6, 7, 8 को दान किया हो बल्कि इस भूमि का एकमात्र मालिक विपक्षी सं0 है एवं विपक्षी सं0 1 को उक्त आराजी किसी भी रूप में हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकार था इस कारण ही विपक्षी सं0 1 ने उक्त आराजी अपने पुत्रों विपक्षी सं0 6 7, 8 को जरिए रजिस्टर्ड दानपत्र हस्तान्तरित कर कब्जा उनके सुपुर्द कर दिया जिसमें किसी भी तरह की कोई अनियमितता अथवा अवैधानिकता नहीं है। दानपत्र पूर्ण रूप से वैद्य है। विपक्षी सं0 6, 7, 8 जो कि रजिस्टर्ड दानग्रहिता हैं के कब्जे काश्त में प्रार्थीगण जबरन मजाहमत करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे ख0नं0 207 में हम उत्तरदातागण विपक्षी संख्या 6, 7, 8 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में कोई मजाहमत न तो स्वयं कारित करें और न किसी अन्य से करावें तथा आराजी ख0नं0 126 व 131 में भी विपक्षी सं0 1 के हिस्से के कब्जे में भी प्रार्थीगण मजाहमत पैदा करने पर आमादा है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विपक्षी सं0 1, 6, 7, 8 के विरूद्ध खारिज फरमाया जावे तथा उत्तरदातागण विपक्षीगण का प्रतिवाद स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे ख0नं0 207 ग्राम मलारनाडूंगर में विपक्षी संख्या 6, 7, 8 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में कोई मजाहमत न तो स्वयं कारित करे न किसी अन्य से कारित करावे तथा प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे ख0नं0 126 और 131 ग्राम मलानाडूंगर में विपक्षी सं0 1 के हिस्से के कब्जे में कोई बाधा न तो स्वयं कारित करे न किसी

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

मलारना डूंगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

अन्य से कारित करावे तथा हम विपक्षीगण को प्रार्थीगण से विशेष हर्जा व खर्चा दिलाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने अपने जबाब में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि प्रार्थीगण छल कपट करने के आदी हैं तथा हम उत्तरदातागण की भूमि हडपना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से यह दावा प्रस्तुत किया गया है। भूमि ख0नं0 207 में हम उत्तर दातागण का भी 1/5 हिस्सा है। इस भूमि में प्रार्थीगण का 3/5 हिस्सा, विपक्षी सं0 1 का 1/5 हिस्सा तथा हम उत्तरदातागण का 1/5 हिस्सा है। विपक्षी सं0 1 ने गलत ढंग से भूमि ख0नं0 207 जरिए रजिस्टर्ड दानपत्र हस्तान्तरित कर दी है जिसका उसे कोई अधिकार नही है तथा यह दानपत्र कतई शुन्य निष्प्रभावी एवं अवैद्य है। भूमि पर प्रार्थीगण, विपक्षी सं0 1 व हम उत्तरदातागण का हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है। यह भूमि विपक्षी सं0 1 के पिता ने ही विपक्षी सं0 1 के नाम खरीद की थी । खरीद राशि संयुक्त परिवार की राशि थी तथा परिवार का बडा पुत्र होने के कारण भूमि उसके नाम खरीदी गई थी। विपक्षी सं0 1 ने कभी भी भूमि ख0नं0 207 को प्रार्थीगण से छीनने का प्रयास नहीं किया और ना ही ऐसा हो सकता था क्योंकि इस भूमि से अकेले विपक्षी सं0 1 का वास्ता नहीं था। प्रार्थीगण द्वारा वर्णित शपथपत्र कतई झूंठा व मनगढन्त बनाया गया है तथा ऐसे किसी शपथ पत्र का कानून की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है और न ही ऐसे किसी शपथपत्र से कोई अधिकार हस्तान्तरित किए जा सकते हैं। शपथपत्र कतई फर्जी एवं जाली है। इस पर नफीसउल्लाह के फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए हैं। भूमि ख0नं0 126 व 131 में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 का 1/2 हिस्सा है तथा शेष 1/2 हिस्से में जबाबदारान के 5 हिस्से हैं। हमारे पूर्वज मोहम्मद इस्माइल का ग्राम मलारनाडूंगर में पुराना मकान था। इसमें नफीसउल्लाह द्वारा उसके 1/5 हिस्से का बेचान सभी भाईयों की सहमति से किया गया है। मकान के सामने जो भूमि खाली है एवं जिसके चारो ओर बाउण्ड्री बनी हुई है वह जमीन अभी तक पांचों की शामलाती हिस्से में है। प्रार्थीगण भूमि ख0नं0 126, 131 में हम उत्तरदातागण को कोई हिस्सा नहीं देना चाहते हैं एवं इस हेतु अनुचित दबाब बनाने के लिए यह मुकदमा प्रस्तुत किया गया है। ख0नं0 127 एवं 356 को कभी भी व किसी भी रूप में नफीसुल्ला को बंटवारे में नहीं दी गई बल्कि ख0नं0 127 व 356 नफीसुल्ला की स्वयं की खरीदशुदा आराजी है। इन दोनों आराजी में श्रीमती इलियास बेगम का कोई

Scanned by CamScanner

भी पैसा नहीं लगा है और न ही उनके पैसे से खरीदी गई है। यह भूमि नफीसुल्ला ने अपनी कमाई से स्वयं खरीदी है। नफीसुल्ला द्वारा किसी तरह का कोई शपथ पत्र कभी भी तहरीर व तकमील नहीं किया गया है और न ही उसके द्वारा कोई हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रार्थीगण ने यह दस्तावेज फर्जी तैयार किया है । ख0नं0 127 को नफीसुल्ला द्वारा अपने जीवनकाल में ही मोबिल पुत्र मुंशी खां को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान किया जा चुका है जिसका नामान्तरकरण भी दिनांक 23.2.99 को मोबिल के पक्ष में खुल चुका है। ख0नं0 356 में से भी 60 गुणा 40 कुल 2400 वर्गफीट भूमि नफीसुल्ला द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रफीक मोहम्मद पुत्र बशीर मोहम्मद को बेचान की जा चुकी है जिसका भी नामान्तरकरण दिनांक 5.9.06 को खुल चुका है। ख0नं0 356 की शेष भूमि में भी जरिए इकरारनामा प्लाट काट कर नफीसुल्ला द्वारा ही विक्रय किया जा चुका है। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र कपोल कल्पित आधार बनाकर प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053, फोटोकोपी नकल दानपत्र दिनांक 22.5.14, नकल जमाबंदी सं0 2017 से 2020, नकल जमाबंदी सं0 2023 से 2026, फोटोकोपी शपथपत्र, फोटोकोपी टी0सी0, फोटोकोपी रसीद भूमि नीलामी राशि, फोटोकोपी रसीद लगान प्रस्तुत की है।

जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में अप्रार्थी नं0 1, 6, 7, 8 की ओर से फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053 प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 207 नीलामी में अप्रार्थी नईमुल्लाह के नाम से खरीदी गई है। खरीद के समय नईमुल्लाह की उम्र 13 वर्ष रही थी। भूमि की खरीद के समय धनराशि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 के पिता मोहम्मद इस्माइल द्वारा दी गई। इस भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है। भूमि पर प्रार्थीगण का अधिकार बनता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नईमुल्लाह से भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज कराने को कहा तो बदनियती से अप्रार्थी ने भूमि उसके पुत्रों अप्रार्थी नं0 6, 7, 8 के नाम जरिए रजिस्टर्ड दानपत्र हस्तान्तरित कर दी। जबकि अप्रार्थी नं0 1 की मृत्यु के

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

बाद भूमि का नामान्तरकरण स्वतः ही अप्रार्थी नं0 6, 7, 8 के नाम खुल जाता। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि पक्षकारान मुसलमान समुदाय से हैं एवं मुस्लिम ला सैक्शन 121 के अनुसार पिता के जिन्दा रहते बच्चों का हिस्सा तय नहीं होगा । प्रार्थीगण को इस बात को चुनौती देनी चाहिए कि नीलामी से भूमि खरीद के वक्त खरीद गलत की गई, खरीद सबके नाम से होनी चाहिए। प्रार्थीगण का यह कहना है कि अप्रार्थी नं0 1 ने शपथपत्र लिखा है परन्तु यह शपथपत्र प्रमाणित नहीं है तथा इसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। अप्रार्थी नं0 1 ने अप्रार्थी नं0 6, 7, 8 के पक्ष में दानपत्र दिनांक 22.5.2014 को पंजीबद्ध कराया है। इस प्रकरण में दानपत्र को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है, इसे केवल सिविल कोर्ट में ही चैलेन्ज किया जा सकता है जिसकी भी अवधि 3 वर्ष ही है। ख0नं0 207 विशुद्ध रूप से अप्रार्थी नं0 1 के नाम रहा है। इसमें प्रार्थीगण सहखातेदार भी नहीं रहे हैं। इस नम्बर को अन्य सहखातेदारी के नम्बरों के साथ इसलिए जोडा गया है ताकि ख0नं0 207 के लिए भी रिलीफ प्राप्त की जा सके। प्रार्थीगण के अनुसार तथाकथित एग्रीमेंट दिनांक 13.4.88 का है, काज आफ एक्शन 25.6.2014 को उत्पन्न होना बताया है जबकि दानपत्र इससे पूर्व ही दिनांक 22.5.2014 को हो चुका है। इस प्रकार काज आफ एक्शन ही संदेह के घेरे में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053 के अनुसार भूमि ख0नं0 207 ग्राम मलारनाडूंगर अप्रार्थी नं0 1 नईम उल्लाह की खातेदारी में दर्ज है। यह भूमि शुरू से ही अर्थात भूमि की खरीद के समय से ही अप्रार्थी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज रही है। प्रार्थीगण इस भूमि में अपना 1/2 हिस्सा क्लेम करते हैं एवं इसका आधार वे नईमउल्ला द्वारा लिखित एक शपथपत्र, जिसकी छायाप्रति प्रार्थीगण ने प्रस्तुत की है, को बताते हैं। शपथपत्र की छायाप्रति के अवलोकन से विदित है कि यह विधिक रूप से मान्य नहीं है क्योंकि यह प्रोपरली प्रमाणित नहीं है एवं स्वयं नईमउल्ला भी इसे अपने जबाब में अस्वीकार कर रहा है। इसलिए प्रार्थीगण मात्र इस अप्रमाणित दस्तावेज के आधार पर भूमि ख0नं0 207 में अपना हक व कब्जा

Scanned by CamScanner

प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। भूमि ख0नं0 126 एवं 131 प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 की सहखातेदारी की भूमि है । भूमि संयुक्त खातेदारी की होने के कारण प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच में कब्जा माना जाता है ऐसी स्थिति में एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। इस विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नहीं होता है तथा सुविध का संतुलन का भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं जाता है फलस्वरूप प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 06/09/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर

Scanned by CamScanner

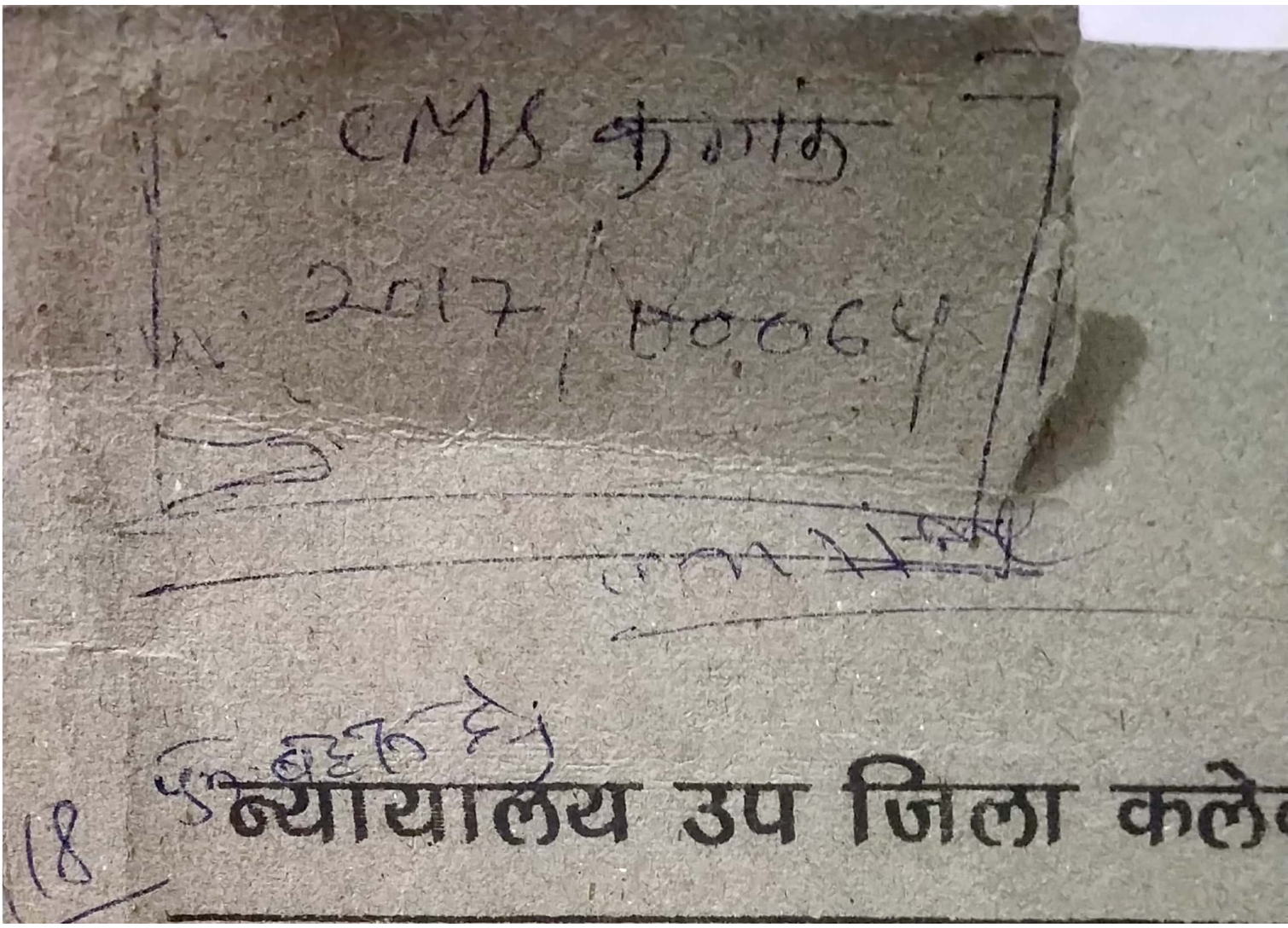

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2019.11.13 12:47:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: